न्यायालयः—दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)

कमांक 126 /C.J.M./2026 उमरिया, दिनांक 28.02.2026

::आंशिक संशोधित रिमांड ड्यूटी::

मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना कमांक ए/693/एक—7—3/2025 भाग—एक जबलपुर दिनांक 27.02.2026 के अनुसार दिनांक 31.03.2026 को कार्यदिवस घोषित कर दिनांक 30.03.2026 को अवकाश घोषित किया गया है। अतः मैं दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0 धारा 12 एवं 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा म0प्र0 दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते पूर्व में प्रसारित रिमांड डयूटी आदेश दिनांक 23.02.2026 में आंशिक संशोधन कर दिनांक **30.03.2026 को श्री सरफराज खान**, जेएमएफसी उमरिया की रिमांड ड्यूटी निर्धारित करता हूं।

नोट — इसके अतिरिक्त पूर्व में दिनांक 23.02.2026 को किया गया रिमांड ड्यूटी आदेश यथावत प्रभावशील होगा।

दीपक कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 126(1)/C.J.M./2026 उमरिया दिनांक 28.02.2026

प्रतिलिपिः—

1. पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया म0प्र0।
2. श्री सरफराज खान, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जिला उमरिया म0प्र0।
4. निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर मान्नीय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उमरिया की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.2.2026

दीपक कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)